न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या–78/2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023/87

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामनिवास पुत्र श्री मोहनराम जाति–जाट,निवासी–थांवला तहसील–रियाबड़ी, जिला–नागौर		1. सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार, जरिये सचिवसड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार रियाबड़ी, तहसील रियाबड़ीजिला नागौर, 3. उप तहसीलदार भैरून्दा, तहसील रियाबड़ी जिला नागौर । 4. भंवराराम पुत्र पाबुराम जाति जाट, निवासी थांवला तहसील रियाबड़ी,जिला नागौर, फोरमल पक्षकार ।

उपस्थिति :–

1. **अपीलान्ट की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी उपस्थित।**
2. **रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया उपस्थित ।**
3. **रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से वकील श्री धन्नाराम चौधरी उपस्थित।**

:: निर्णय ::

दिनांक :–09.07.2024

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा ग्राम थांवला का म्यूटेशन संख्या 1503 पर उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 06.04.2023 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील म्यूटेशन नं. 1503 भरा जाकर दिनांक 28.6.2017 को बिना कोई जांच अर्थात रेकर्ड व मौके की स्थिति के विपरीत, पक्षकारान को सुने बिना ही स्वीकार कर लिया गया। जिसकी वास्तविकता की जानकारी अपीलांट को नहीं थी, अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ किसान व्यक्ति है,जो मात्र हस्ताक्षर करना जानता है तथा राजस्व संबंधी मामलो में जानकारी नहीं रखता है। जिससे उसकी खातेदारी में से ज्यादा रकबा काट लिये जाने से उसके रकबे को सही करवाने के लिए तहसीलदारजी व एस.डी.ओ. रियाबड़ी से इस बाबत शिकायत की और रकबा सही करने का निवेदन किया तो अपीलांट को आश्वासन देते रहे मगर अब मार्च–2023 के अंतिम सप्ताह में अपीलांट को यह बताया गया हैं कि आपका कार्य नहीं हो सकता हैं। जिस पर कानूनी सलाह लेकर जैर अपील म्यूटैशन व नक्शा खतौनी की नकले दिनांक 27.3.2023 को प्राप्त होने पर व वकीलो से सलाह मशंविरा करने पर जैर अपील म्यूटैशन की प्रथम जानकारी हुई और प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश की गई हैं।

कलक्टर नागौर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रथम जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील 10 वर्ष बाद पेश की हैं तथा अपील विलम्ब से पेश करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया हैं। इसलिए अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके साथ पेश किये गये शपथ–पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मूल अपील पर बहस में कथन किया कि मौजा थांवला तहसील रियाबड़ी जिला नागौर के साबिका खसरानं. 929, खसरा नं. 929/1, खसरा नं. 930, खसरा नं. 931/1, खसरा नं. 932 व खसरा नं. 935 के नये खसरा नम्बर 1307 रकबा 2.91 हैक्टेयर नये सेटलमेंट में दर्ज किये गये। ग्राम थांवला के नये खसरा नं. 1307 रकबा 2.91 हैक्टेयर के खातेदार रतनाराम, अमराराम, संग्रामराम पिसरान रामसुख, जसवंताराम,जेठाराम पिसरान कानाराम 1/2 हिस्सा तथा भंवराराम, मोहनराम पिसरान पाबुराम 1/2 हिस्सा कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया तथा खातेदार मोहनराम की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर अपीलांट रामनिवास पुत्र मोहनराम दर्ज किया गया हैं। उक्त खातेदारों ने उक्त मूल खसरा नं. 1307 का विभाजन किया जिसका अर्थात विभाजन का म्यूटेशन नं. 2898 दिनांक 14.2..2008 को स्वीकृत हुआ, जिससे खसरा नं. 1307 के तीन भाग बने, जिसमें नं.एक भाग खसरानं. 1307 रकबा 1.38 हैक्टेयर, दुसरा भाग खसरा नं. 3442/307 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा तीसरा भाग खसरा न. 3445/1307 रकबा 1.49 हैक्टेयर बना हैं,जिसकी तरमीम तत्कालीन पटवारी हल्का थांवला के तत्समय नक्शा में अंकित नहीं की गयी हैं। उक्त प्रकार से विभाजित हाल खसरा नं. 1307 व हाल खसरानं. 3445 /1307 में से मौके पर थांवला बाईपास सड़क निर्माण के लिए दिनांक 2.3.2015 को भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के संयुक्त खेत खसरा नं. 1307 रकबा 1.38 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर रकबा ही सड़क में गया । तथा खसरा नं. 3445/1307 रकबा 1.49 हैक्टेयर में से रकबा 1.032 हैक्टेयर सड़क में गया। अर्थात खसरा नं. 1307 व 3445/1307 दोनों खसरो में से कुल मिलाकर 1.072 रकबा सड़क में गया। मगर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरो की नक्शो में तरमीम नहीं किये जाने की वजह से गलतरूप से त्रुटि से अथवा सेहवन से उक्त दोनो खसरान में से सड़क में गया रकबा 1.072 हैक्टेयर को नव विभाजित खसरा नं. 1307 में से रेकर्ड में कम करते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में गेर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिया गया, जो जैर अपील म्यूटेशन संख्या 1503 दिनांक 28.6.2017 को बिना कोई जांच, बिना कोई सुनवाई के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति के विपरीत स्वीकार किया गया हैं। मौके अनुसार व राजस्व रेकर्ड अनुसार अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विभाजित खसरा नं. 1307 रकबा 1.38 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर रकबा कम करते हुऐ नवीन सड़क के खसरा नं. 3923/1307 का रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क दर्ज किया जाना चाहिए था तथा विभाजित खसरा नं. 3445/1307 रकबा 1.49 हैक्टेयर में से सड़क में गया रकबा 1.032 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क अलग से खसरा नम्बर दर्ज करते हुऐ म्यूटेशन खोला जाना चाहिए था, ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भैरून्दा ने राजस्व रेकर्ड व तथ्य की भूल की हैं। इसलिए आदेश जैर अपील गैर कानूनी होने से खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा उक्त अवाप्तसुदा भूमि का अभी तक मुआवजा भी प्राप्त नहीं किया है। चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की भूमि तो गैर मुमकिन सड़क में मात्र 0.04 हैक्टेयर गई है तथा मुआवजा अधिक रकबे का

कलक्टर नागौर

बनाया गया है। इसके विपरीत खसरा नं. 3445/1307 के खातेदार की मौके पर गैर मुमकिन सड़क में रकबा 1.032 है0 पर सड़क निर्माण कर लिया गया है मगर इसकी खातेदारी में से रकबा कम नहीं किये जाने से उन्होंने भी उपरोक्त प्रकार की उलजन में मुआवजा प्राप्त नहीं किया है। चूंकि उसके सड़क में गये रकबा का म्यूटेशन खोला ही नहीं गया है ऐसी सूरत में उप तहसीलदार भैरून्दा का जैर अपील म्यूटेशन स्वयं में इललिगल और ऐररनेस होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त लायक है। रेस्पोडेन्ट भंवरूराम पुत्र पाबुराम जी जो अपीलांट के बड़े पिता हैं उनकी उम्र 93 वर्ष होने से व आंखो से लाचार होने की वजह से अपील के समय उपस्थित नहीं हो सकने के कारण उन्हे फोरमल रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट की व फोरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की रिलिफ एक ही चाही गई हैं।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावें व प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर मौके व रेकर्ड अनुसार बाद पैमाईश सड़क में गये रकबा अनुसार म्यूटेशन खोले जाने का आदेश फरमावे ।

राजपेरोकार का दोराने बहस कथन हैं कि नामान्तरण संख्या 1503 भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय के आदेशानुसार स्वीकृत किया गया हैं,जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली को अवलोकन किया गया। ग्राम थांवला के नामान्तरण संख्या 1503 जो दिनांक 28.06.2017 को स्वीकृत किया गया हैं,का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.38 हैं0 की खातेदारी भंवराराम पुत्र पाबूराम रामनिवास पुत्र मोहनराम कौम जाट सा. दहे खातेदार बाकी खाता बदस्तुर का अंकन हैं। कॉलम संख्या 9 में सड़क परिहवंन वं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार दर्ज किया गया तथा कॉलम संख्या 10 में खसरा नम्बर 3923/1307 क्षेत्रफल 1.072 है0 गै0मु0 सड़क दर्ज किया हैं तथा पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि जरिऐ आदेश श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अति.कलक्टर महोदय, नागौर के आदेश कमांक/कोर्ट/भूमि अवाप्ति/2015/789–91 दिनांक 2.3.15 एवं श्रीमान् टीडीआर, रियांबड़ी के आदेश कमांक/भू.अ./15/7361 दिनांक 26.03.15 की पालना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार के पक्ष में नामा0 भरकर वास्ते जांच उचित आदेशार्थ श्रीमान् कि सेवामें पेश हैं। भू0अभि0 निरीक्षक,थांवला ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा हैं कि जांच की गई अंकन सही हैं। उप तहसीलदार,भैरून्दा द्वारा दिनांक 28.06.20217 को स्वीकृत आदेश पारित किया गया हैं। जो आदेशानुसार ही स्वीकृत किया गया हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी को तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा रिपोर्ट कमांक/भू.अ./2021/4368 दिनांक 03.01.2022 से प्रस्तुत की हैं,जिसंकी फोटो प्रति इस पत्रावली में उपलबध हैं,जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया हैं कि ग्राम थांवला के नये ख0नं0 1307 रकबा 2.91 होकर इसके खातेदार रतनाराम,अमराराम, संग्राम पि0 रामसुख, जसवंताराम,जेठाराम पि0 कानाराम 1/2,भंवराराम,सोहनराम पि0 पाबूराम 1/2 कौम जाट सा0 देह के नाम दर्ज थे। जिसमें मोहनराम के फौत होने पर रामनिवास पु. मोहनराम दर्ज हुआ।

प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया हैं कि ना0करण संख्या 2898 दिनांक 11.02.2008 को पास हुआ जिससे ख0नं0 1307 रकबा 2.91 का विभाजन हुआ जिसके 3 भाग बने (1)–1307 रकबा 1.38 (2) 3442/1307 रकबा 0.04 (3)–3445/1307 रकबा 1.49 है0 कायम किये गए। जिसकी तरमीम ह0प0 थांवला के तत्समय नक्शें में अंकित नहीं की। बाईपास सड़क निर्माण के समय ख0नं0 1307 रकबा 2.91 ही था। अतः रकबा सड़क निर्माण में 1.072 पूरे रकबे में से काटा गया तथा रकबा अवाप्ति का आदेश नामान्तरकरण संख्या 2898 दिनांक 11.02.2008 के बाद आया था। बाईपास सड़क निर्माण का रकबा मौके पर ख0नं0 1307 में से सिर्फ 0.0400 हैं ही गया हैं,शेष रकबा 1.0320 हैं.

कलक्टर नागौर

नागौर (राजस्थान)

ख0नं0 3445/1307 में से गया हैं,मगर माफिक भूमि अवाप्ति आदेश में पूरा रकबा 1.0720 हैं0 ख0नं0 1307 में से काटा गया जो माफिक मौके के सही नहीं हैं। इस रिपोर्ट में नजरी नक्शा भी बनाया गया हैं,जिसमें भी उक्त रिपोर्ट अनुसार ही सड़क में गयी भूमि को दर्शाया गया हैं।

तहसीलदार,रियांबड़ी की उपरोक्त रिपोर्ट से यह प्रकट हैं कि भूमि अवाप्ति के आदेश में एवं मौके की स्थिति के खसरा नम्बरों में एवं खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरों में भिन्नता रही हैं,जिसका एक यह भी कारण रहा हैं कि मूल खसरा नम्बर 1307 के बंटवाड़ा के बाद बने खसरा नम्बर 1307,खसरा नम्बर 3442/1307,खसरा नम्बर 3445/1307 की नक्शे में तरमीम नहीं होना। इस तथ्य को तहसीलदार, रियांबड़ी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2022 में अंकन किया हैं। इस प्रकार हमारी राय में उप तहसीलदार,भैरून्दा को नामान्तरण संख्या 1503 स्वीकृत करने से पूर्व इस स्थिति का जायजा लेना चाहिऐ था कि जहॉ सड़क मौका पर बनी हैं,उसी अनसुार भूमि अवाप्ति आदेश में खसरा नम्बरों का अंकन हैं या नहीं? अगर इस प्रकार की भिन्नता थी तो उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत कर संशोधन आदेश प्राप्त किया जा सकता था परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से भूमि का मुआवजा का एवार्ड भी सही जारी नहीं हो सकता हैं तथा मुआवजा अवार्ड राशि वितरण भी नहीं की जा सकती हैं। इन सभी तथ्यों पर घोर करते हुवे अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना तथा प्रकरण को उप तहसीलदार,भैरून्दा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार,भैरून्दा द्वारा ग्राम थांवला के नामान्तरण संख्या 1503 में पारित आदेश दिनांक 28.06.20217 को निरस्त किया जाता हैं तथा उप तहसीलदार,भैरून्दा को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि भूमि की सही तरमीम के अभाव में अगर भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश में संशोधन करवाया जाना हो तो अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के मार्फत प्रस्तुत करते हुवे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से संशोधित आदेश प्राप्त किया जाकर तथा सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुवे नामान्तरण संख्या 1503 में पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित किया जावें। न्यायहित में उप तहसीलदार,भैरून्दा को यह भी आदेश दिया जाता हैं कि नामान्तरण संख्या 1503 पर पुनः आदेश पारित होने से पूर्व राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें, नामान्तरण संख्या 1503 पर पुनः पारित आदेशानुसार ही राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर,नागौर